संख्या– 74 /15–11–2018

प्रेषक,

एस0 राजलिंगम,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण
परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।

सचिव,
परीक्षा नियामक प्राधिकरी,
उ0प्र0, इलाहाबाद।

शिक्षा अनुभाग–11 लखनऊः दिनांकः 30 जनवरी, 2018

विषयः– "सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018" के आयोजन हेतु समय–सारिणी।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक सचिव, परीक्षा नियामक प्राधिकारी के पत्र संख्या–गोप0/प्रा0स0अ0/23277–80/2017–18 दिनांक 22.01.2018 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा "सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018" के संबंध में निर्गत मार्गदर्शी सिद्धान्त शासनादेश संख्या–32/15–11–2018 दिनांक 09.01.2018 के बिन्दु 14 क के उपबिन्दु (11), (14) तथा (15) में संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त "सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018" के आयोजन हेतु निर्गत शासनादेश संख्या–32/15–11–2018 दिनांक 09.01.2018 के बिन्दु 14 क के उपबिन्दु (11), (14) तथा (15) में निम्नवत् आंशिक संशोधन किया जाता हैः–

उपबिन्दु संख्या	वर्तमान व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
(11)	पेपर के आरंभ होने के दस मिनट पूर्व प्रत्येक अभ्यर्थी को एक सीलबंद टेस्ट बुकलेट (प्रश्न पुस्तिका सह उत्तर पुस्तिका) दी जाएगी। टेस्ट बुकलेट में पूछे गये प्रश्न के उत्तर, उत्तर पुस्तिका पर अंकित करना होगा।	पेपर के आरंभ होने के दस मिनट पूर्व प्रत्येक अभ्यर्थी को एक सीलबंद टेस्ट बुकलेट (प्रश्न पुस्तिका सह उत्तर पुस्तिका) दी जाएगी। टेस्ट बुकलेट में पूछे गये प्रश्न के उत्तर, उत्तर पुस्तिका पर अंकित करना होगा। प्रत्येक उत्तर पुस्तिका के साथ 5 सादे द्वितीय उत्तर पत्रक होंगे। अभ्यर्थी अगर अपने द्वारा अंकित किये गये उत्तर की कार्बन प्रति अपने साथ ले जाना चाहते हैं, तो उन्हें कक्ष निरीक्षक से कार्बन शीट की मांग करनी होगी। अभ्यर्थी कक्ष निरीक्षक द्वारा प्राप्त कराये गये कार्बन शीट एवं उत्तर पुस्तिका के साथ दिये गये 5 सादे द्वितीय उत्तर पत्रक का इस्तेमाल कर कार्बन प्रति का निर्माण कर सकते हैं, एवं कार्बन प्रति को परीक्षा के उपरान्त अपने साथ ले जा सकते है।
(14)	परीक्षा समाप्त होने के तुरंत पश्चात टेस्ट बुकलेट को सौंपने से पूर्व अभ्यर्थी को साक्ष्य	परीक्षा अवधि में अभ्यर्थियों को उपस्थिति–पत्रक में हस्ताक्षर करना अनिवार्य

NEW RU GO

Scanned by CamScanner

	के रूप में उपस्थिति–पत्रक में अवश्य ही हस्ताक्षर करने चाहिए। टेस्ट बुकलेट में ही प्रश्न एवं उत्तर दोनो होने के कारण परीक्षार्थी को टेस्ट बुकलेट साथ ले जाने की अनुमति नहीं है।	है। अभ्यर्थी परीक्षा के उपरान्त प्रश्न पुस्तिका अपने साथ ले जा सकते हैं।
(15)	मूल्यांकन के समय किसी अभ्यर्थी की टेस्ट बुकलेट (प्रश्न सह उत्तर पुस्तिका) की गैर–अनुपलब्धता के विषय में किसी विसंगति के मामले में, यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी टेस्ट बुकलेट को भी अपने साथ ले गया है तथा ऐसे मामले में अभ्यर्थी के विरूद्ध प्राथमिक सूचना रिर्पोट दर्ज करते हुए परिणाम रद्द किए जाने योग्य होगा।	किसी अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका उपलब्ध न होने पर, यह माना जाएगा कि अभ्यर्थी उत्तर पुस्तिका को भी अपने साथ ले गया है तथा ऐसे मामले में अभ्यर्थी के विरूद्ध सम्बन्धित परीक्षा के केन्द्र व्यवस्थापक द्वारा प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी जायेगी।

3– उक्त के अतिरिक्त शासनादेश संख्या–32 / 15–11–2018 दिनांक 09.01.2018 की शेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत् रहेंगे।

भवदीय,

(एस0 राजलिंगम)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2– समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3– राज्य परियोजना निदेशक, सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद उ0प्र0।
4– निदेशक, माध्यमिक / बेसिक शिक्षा / साक्षरता एवं प्रौढ़ शिक्षा उ0प्र0 लखनऊ।
5– अपर शिक्षा निदेशक, बेसिक / माध्यमिक शिक्षा उ0प्र0 इलाहाबाद।
6– सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 इलाहाबाद।
7– समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक उ0प्र0।
8– समस्त प्राचार्य, जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान उ0प्र0।
9– समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।
10– समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उ0प्र0।
11– शिक्षा अनुभाग–5
12– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ममता श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

Scanned by CamScanner